

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2076 / 2013 / नागौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, वृत्त-‘ए’, मकराना, नागौर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कुमावत बिल्डिंग मैटेरियल, मकराना, नागौर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22 / 02 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वैट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत अपील संख्या 172 / 13-14 / वैट / मकराना में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-मकराना (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-2011 के लिये वैट अधिनियम की धारा 23 / 24, 61(2) व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 की अवधि में रुपये 8,12,500/- का जो विक्रय अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में होना बताया था उसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच में यह पाया कि यह माल राज्य के भीतर विक्रय हुआ था अतः अन्तर्राज्यीय कर दर 2% के स्थान पर वैट अधिनियम के तहत 14 प्रतिशत से करारोपण किया गया एवं करापवंचन की मंशा से आगत कर का गलत लाभ लेने के आरोप में अधिनियम की धारा 61(2) के तहत कर राशि की 4 गुना शास्ति भी आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज को यथावत रखा परन्तु आगत कर के गलत उपयोग के आधार पर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करवंचना की मंशा से राज्य के भीतर की बिक्री को अन्तर्राज्यीय बिक्री बताकर 14 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत कर दर का बिल बनाया गया था जो करवंचना करने का प्रमाणित कृत्य होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया परन्तु शास्ति को अन्यथा आधार पर अपास्त किया गया है जिसे निरस्त कर शास्ति को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया।


4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कोई बिक्री छुपाई नहीं गई थी बल्कि वह माल राज्य के बाहर के व्यवसायी को ही विक्रय किया गया था एवं 'सी' फार्म भी प्रस्तुत किये गये थे अतः उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 61 का कोई अभियोग नहीं बनता है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर का गलत उपयोग बताते हुये अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति आरोपित की है जबकि शास्ति (धारा 61(2) में) मिथ्या एवं गलत आधार पर आगत कर का क्लेम लेने पर ही आरोपणीय है। व्यवहारी के मामले में जो अभियोग बनाया गया था वह विक्रय संव्यवहार से संबंधित था जिसमें माल का विक्रय घोषित था एवं विवाद केवल राज्य अथवा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में कर आरोपित करने से सम्बन्धित था जिसमें आगत कर का प्रश्न नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को विधि एवं न्यायसम्मत रूप से अपास्त किया गया है अतः विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री को लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों में दर्शाया हुआ था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित बिक्री को अन्तर्राज्यीय क्रम में अस्वीकार कर राज्य के भीतर की बिक्री मानकर करारोपण किया गया है। प्रकरण में आई.टी.सी क्लेम को गलत एवं अविधिक रूप से लेने का कोई बिन्दु नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद बिलों के बोगस होने का कोई प्रकरण नहीं बनाया था ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61(2) Penalty for wrong credit of input Tax का बिन्दु ही नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखा गया परन्तु किसी तरह के concealment नहीं होने एवं आगत कर के विवाद के बिना धारा 61(2) की शास्ति को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है।

7. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य